प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)...अजौली

पीठासीन अधिकारी :- विश्वामित्र मीना RAS

उनवान

गुलाराम बनाम विजय पाल

दावा बाबत :- हुक्मनामा दावी u/s RTA 1955

मुकदमा नम्बर :- 0052/19-5-2011

निर्णय दिनांक:- 07-06-2011

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं

की उपस्थिति में आज तारीख 07-06-2011 को विश्वामित्र मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि -

विवादित भूमि सं. 502/1-09 बीघा बांध ग्राम अजौली पर वादी का दखल (कब्जा) किया जाता है तथा विवादित आराजी सं. 503/1-15 बीघा बांध ग्राम अजौली तह. कोटकासिम की वादी विपक्षीगण पैमाइश करावे। तत्पश्चात पैमाइश रिपोर्ट में विवादित आराजी (सं. 503 में अतिक्रमण प्रतीत होता पाया जावे तो प्रतिवादीगण हुक्मनामा दावी से पाबन्द रहेंगे। सीमा की यथास्थिति कायम रखेंगे। कोई निर्माण आदि नहीं करेंगे। पंचायती नम्बर से कब्जा कर वह तकमीन राशि दण्ड भी करेंगे। निर्णय मेम्को में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 07-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	

Scanned by CamScanner

7-6-17

आज पत्रावली केस नोट्स अर्जी में दिये हुये वादी व प्रति. वकील उभय/उभय पक्षों को सुनागया व लिखित पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारधीन आज्ञप्ति सं. 502 मुलाकि लिखे वादी व प्रति. की खारिज वादी की आज्ञप्ति नहीं होकर सं. 502 पर वादी पक्ष का दावा चलने योग्य नहीं पाया जाता है दावा आंशिक रूप से प्रकार निर्णय किया जाता है। आ.सं. नं. 503 वाले शाम अर्जी पर वादी का दावा खारिज किया जाता है। आ.सं. नं. 502 वाले शाम अर्जी पर वादी का दावा केस मुख्य आज्ञप्ति प्राप्त करने की स्वीकृति दी किया जाता है। निर्णय अलग लिखे जाने वाला आदेश पत्रा. किया गया। पत्रावली सहायक कलेक्टर के समक्ष दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय केस नोट्स में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बसवा)

Scanned by CamScanner